बिहार शिक्षा परियोजना, खगड़िया
(समग्र शिक्षा अभियान)

समाहरणालय के निकट, कोशी कॉलेज रोड, खगड़िया-851204
फोन नं0–06244/222215, E-mail- dlokhagaria@gmail.com

पत्रांक RTE/05/20-Privet School/2019-20/ 565 /दिनांक 30 .05.2020

प्रेषक :-

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी
प्रा०शि० एवं स०शि०अभि०, खगड़िया।

सेवा में,

अध्यक्ष/व्यवस्थापक/प्रबंधक
डी० ए० भी० पब्लिक स्कूल दयानन्द नगर महेशखुंट
प्रखंड- गोगरी

विषय :- **बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 के अन्तर्गत विद्यालय की प्रस्वीकृति/निबंधन प्रमाण पत्र के संबंध में।**

महाशय,

आपसे किये गये पत्राचार के आलोक में प्राप्त प्रतिवेदन के आधार पर आपके विद्यालय **डी० ए० भी० पब्लिक स्कूल दयानन्द नगर महेशखुंट**, गोगरी को कक्षा **Nursery/I** से कक्षा **VIII** तक संचालन हेतु तीन वर्षो **2020-21** से **2022-23** की अवधि के लिए औपबंधिक प्रस्वीकृति प्रदान की जाती है।
प्रदत्त प्रस्वीकृति निम्न शर्त्तो के अनुपालन के अधीन होगी :-

1. प्रस्वीकृति किसी भी परिस्थिति में कक्षा 8 तक की सीमा के बाहर मान्य नही होगी।
2. विद्यालय बच्चों की मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम 2009 (अनुलग्नक-1) तथा बिहार राज्य मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा नियमावली 2011 (अनुलग्नक-2) का अनुपालन आवश्यक रूप से सुनिश्चित किया जाय।
3. विद्यालय अपनी नर्सरी/कक्षा 1 में बच्चों के नामांकन की कुल क्षमता का 25 प्रतिशत बच्चों का नामांकन अपने पड़ोस के कमजोर वर्ग एवं अलाभकारी समूह के बच्चों का करेगें तथा उन्हें मुफ्त एवं अनिवार्य प्रारंभिक शिक्षा उसकी पूर्णता तक प्रदान करेगा, परंतु यह कि यदि विद्यालय में पूर्व प्राथमिक कक्षाओं का संचालन हो रहा है, तो इस मानक का अनुपालन पूर्व प्राथमिक कक्षा के लिए भी किया जायेगा।
4. कंडिका 3 में उद्धत बच्चों के मामले में विद्यालय बच्चों को मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम की धारा 12 की उपधारा 2 के आलोक में निर्धारित राशि की प्रतिपूर्ति की जायेगी। प्रतिपूर्ति की जानेवाली राशि की प्राप्ति के लिए विद्यालय अलग से बैंक खाता का संधारण करेगा।
5. सोसाईटी/विद्यालय के द्वारा किसी प्रकार का कैपिटेशन फीस नही प्राप्त किया जायेगा तथा किसी भी बच्चा, उसके माता-पिता या अभिभावक का स्क्रीनिंग टेस्ट नही किया जायेगा।

6. विद्यालय किसी बच्चे के नामांकन से उसके उम्र प्रमाण-पत्र की अनुपलब्धता, नामांकन की विस्तारित अवधि के बाद तथा धर्म, जाति, जन्म-स्थान आदि कारणों या इसमें से किसी एक कारण के आधार पर इंकार नही कर सकेगा।

7. विद्यालय द्वारा निम्न कार्य सुनिश्चित किये जायेंगे :-

   i) किसी भी नामांकित बच्चों को किसी भी कक्षा में रोक कर नही रखा जाएगा और न ही किसी नामांकित बच्चा को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक विद्यालय से निष्कासित किया जायेगा।

   ii) किसी भी बच्चे को किसी प्रकार का शारीरिक दंड नही दिया जायेगा तथा मानसिक रूप से प्रताड़ित नही किया जायेगा।

   iii) किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने के लिए किसी भी प्रकार के बोर्ड परीक्षा पास करने की आवश्यकता नही होगी।

   iv) प्रारंभिक शिक्षा पूरी करने वाले प्रत्येक बच्चों को नियम 22 के आलोक में प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा।

   v) अधिनियम के प्रावधानों के आलोक में विकलांग/विशेष आवश्यकता वाले बच्चों का समावेशन किया जाएगा।

   vi) शिक्षक नियोजन अधिनियम की धारा 23 की उपधारा 1 के अधीन अधिसूचित शैक्षणिक प्राधिकारी द्वारा विनिर्दिष्ट न्यूनतम अर्हताओं को पूरा करना सुनिश्चित करेंगे।

   vii) शिक्षक अधिनियम की धारा 24 की उपधारा 1 में प्रावधानित शिक्षकों के दायित्व का निर्वहन करेंगे।

   viii) शिक्षक निजी स्तर पर किसी भी प्रकार की शिक्षण गतिविधि में संलग्न नही होंगे।

8. विद्यालय राज्य सराकर द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम एवं पाठ्यचर्या का अनुसरण करेंगें।

9. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 के प्रावधानों के आलोक में उपलब्ध सुविधाओं के अनुपातिक रूप से छात्रों का नामांकन करेंगे।

10. विद्यालय अधिनियम की धारा 19 में उद्धत मानकों एवं मानदंडो को यथावत रखेगें। विद्यालय के अंतिम निरीक्षण के समय उपलब्ध सुविधाओं का विवरण निम्नवत -

    विद्यालय परिसर का क्षेत्रफल -
    कुल निर्मित क्षेत्र-
    खेल के मैदान का क्षेत्र-
    वर्गकक्षों की कुल संख्या -
    प्रधानाध्यापक-सह-कार्यालय-सह-भंडार कक्ष-
    बालक तथा बालिकाओं के लिए अलग-अलग शौचालय-
    पेयजल की सुविधा-
    मध्याह्न भोजन की लिए रसोई घर-
    बाधारहित पहूंच-
    शिक्षण अधिगम सामग्री/खेल कूद उपकरण/पुस्तकालय-

11. कोई भी अप्रस्वीकृति वर्गकक्ष विद्यालय परिसर में या बाहर विद्यालय के नाम से संचालित नही होगा।

12. विद्यालय भवन अथवा अन्य संरचनाऐं अथवा मैदान का उपयोग केवल शिक्षा तथा कौशल विकास के लिए होगा।

13. विद्यालय सोसाईटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 (1860 का 21) के अन्तर्गत निबंधित सोसाईटी के द्वारा अथवा किसी निर्धारित समय में लागू कानून के तहत गठित पब्लिक ट्रस्ट के माध्यम से संचालित होगा।

14. विद्यालय किसी व्यक्ति, समूह अथवा व्यक्तियों के संघ अथवा किसी अन्य व्यक्तियों के लाभ के लिए संचालित नही होगा।

15. लेखा एवं अंकेक्षण एवं उसका प्रमाणीकरण चार्टर्ड एकाउन्टेंट के द्वारा किया जायेगा और निर्धारित नियमों के आलोक में उपर्युक्त लेखा विवरणी तैयार की जायेगी। प्रत्येक लेखा विवरणी की एक प्रति प्रतिवर्ष भेजी जायेगी।

16. आपके विद्यालय को आवंटित प्रस्वीकृति कोड संख्या **G-2020022503** है। इस कार्यालय से किसी प्रकार का पत्राचार करने में कोड को कृपया अंकित एवं उद्धत किया जाय।

17. निदेशक, प्राथमिक शिक्षा/जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा समय-समय पर मांग किए गए प्रतिवेदन एवं सूचनाऐं विद्यालय के द्वारा उपलब्ध कराई जायेगी और राज्य सरकार के स्तर से प्रस्वीकृति की शर्त्तो के लगातार रूप से पूरा करने की सुनिश्चितता हेतु अथवा विद्यालय संचालन से संबंधित कठिनाईयों को दूर करने हेतु समय-समय पर निर्गत अनुदेशों का अनुपालन विद्यालय के द्वारा किया जायेगा।

18. यदि सोसाईटी के निबंधन के नवीकरण की किसी प्रकार की आवश्यकता है तो उसे सुनिश्चित किया जाय।

19. अनुलग्न III के रूप में संलग्न अन्य शर्त्ते।

उपरोक्त सभी शर्त्तो एवं मापदंडो का पालन ससमय करना सुनिश्चित करें। इन्हीं शर्त्तो के साथ प्रस्वीकृति दी जाती है।

विश्वासभाजन,

30/5/2020

जिला कार्यक्रम पदाधिकारी

प्रा०शि० एवं स०शि०अभि०, खगड़िया।

30/05/2020